रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241118 CG-DL-E-15122022-241118

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5621] No. 5621] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5857(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार केपोतपरिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभागकी अधिसूचना संख्या का.आ. 5464, तारीख 30.12.2021 जो भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-146B के कि.मी. 0+000 से 47+400 कि.मी. तक (नसरुल्लागंज रेहटी से बुधनी मार्ग) अतिरिक्त के लिए भूखण्ड के निर्माण,(2-लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन **"राज एक्सप्रेस"** में शनिवार 15 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है :

8363 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-146B के कि.मी. 0+000 से 47+400 कि.मी. तक (नसरुल्लागंज रेहटी से बुधनी मार्ग) अतिरिक्त के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जनमा तरमगा ताहरा मूनि मा तावत विवरणा								
राज्य व	राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: सीहोर							
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम			
1	2	3	4	5	6			
	तालुक का नाम: नसरुल्लागंज							
	गांव का नाम: चांदाग्रहण							
1	173/2/1	निजी	सिंचित	0.15	विनोद पिता अमरसिंह जाति कलोता पता नसरुल्लागंज सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी ( १७३/२/१ )			
2	213-160	निजी	सिंचित	0.215	रमेश पिता मांगीलाल जाति तेली पता नसरुल्लागंज सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी, रमेश पिता मांगीलाल जाति तेली पता नसरुल्लागंज सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी (२१३/१६०/क, २१३/१६०/ख)			
3	229/160	निजी	सिंचित	0.09	साकराबी बेवा शेख आ. रज्जक आ. हसीब आ. आसिब आ. आरिफ आ. शेख रज्जाक आ. किसवर जहां साविया जहां बेटी शेख आ. रज्जाक जाती मुसलमान पता सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी (२२९/१६०/२)			
4	229/160	निजी	सिंचित	0.396	जगदीश प्रसाद पिता शिवनारायण जाति कलोता पता सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी (२२९/१६०/३)			

5	39-40-45/2	निजी	सिंचित	0.0823	भूषण पिता संतोष जाति ब्राह्मण पता सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी (३९/१/१/३, ४०, ४५/२/१/१/३ )	
6	39-40-45/2	निजी	सिंचित	0.7227	भूषण पिता संतोष जाति ब्राह्मण पता सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी (३९/१/१/३, ४०, ४५/२/१/३ )	
7	39-40-45/2	निजी	सिंचित	0.7926	केदार पिता कालूराम जाति ब्राह्मण पता सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी (३९/२/७, ४०, ४५/२)	
8	39-40-45/2	निजी	सिंचित	0.1211	केदार पिता कालूराम जाति ब्राह्मण पता सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी (३९/२/९, ४०, ४५/२)	
9	39-40-45/2	निजी	सिंचित	0.2401	गज्जू उर्फ गजेंद्र पिता कालूराम जाति ब्राह्मण पता सीहोर मध्य प्रदेश भू स्वामी (३९/३/१, ४०, ४५/२)	
10	39-40-45/2	निजी	सिंचित	0.0559	मध्य प्रदेश सरकार (३९/३/४ (स) ४०, ४५/२ )	
11	39-40-45/2	निजी	सिंचित	0.0623	मध्य प्रदेश सरकार (३९/२/८, ४०, ४५/२ )	
12	39-40-45/2	निजी	सिंचित	0.004	बद्री नारायणन पिता कालूराम जाति ब्राह्मण पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (३९/२/४ (स) ४०, ४५/२ )	
	गांव का नाम: नंदगांव					
13	170	निजी	सिंचित	0.023	रामचंद्र, रमेशचंद्र, कैलाश चंद्र पिता छतरसिंह, लीलाबाई, पार्वती बाई सुमन बाई पिता छतरसिंह खाती निवासी ग्राम भू-स्वामी भू-राजस्व 9.75 (१७०)	
14	173-176- 177/1	निजी	सिंचित	0.015	रामेश्वर दास पिता हरिदास जाति वैरागी निवासी सीहोर भू-स्वामी भू-राजस्व 1.93 (१७३/३, १७६, १७७/१)	
15	174/2-175- 259/175	निजी	सिंचित	0.02	रामिकशन पिता कालूराम कंचन बाई पुत्री मेहताब मेहरबान अर्जुन सिंह आ. मुलुचंद जाति खाती भाग 3.032 हे. देवेंद्र आत्मज मेहरबान सिंह भाग 1.011	

		(१७४/२, १७५, २५९/१७५)
		हे. जाति खाती भू-स्वामी भू-राजस्व 24.34

फा. सं. CE-RO BPL/30010/34/2018-19/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# ${\bf MINISTRY\ OF\ ROAD\ TRANSPORT\ AND\ HIGHWAYS}$

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2022

**S.O.** 5857(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 5464 dated 30.12.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Two-Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-146B on the stretch of land from Km. 0+000 to 47+400 Km. in (Nasrullaganj Rehti to Budhni Road) Additional in the district of Sehore in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Raj Express" 15 January 2022 Saturday; & "Free Press" 15 January 2022 Saturday; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0+000 to 47+400 Km. in (Nasrullaganj Rehti to Budhni Road) Additional of the NH-146B in the district of Sehore in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: SEHO	RE			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.		
1	2	3	4	5	6		
	Taluk: Nasrullaganj						
	Village: Chanda Grahan						
1	173/2/1	Private	Irrigated	0.15	Vinod Father Amarsingh caste Kalota Address Nasrullaganj Sehore Madhya Pradesh Land Owner 173/2/1		
2	213-160	Private	Irrigated	0.215	Ramesh Father Mangilal Caste Teli Address Nasrullaganj Sehore Madhya Pradesh Land Owner, Ramesh Father		

					Mangilal Caste Teli Address Nasrullaganj Sehore Madhya Pradesh Land Owner 213/160/Ka, 213/160/Kha
3	229/160	Private	Irrigated	0.09	Sakrabi Beva Shaikh Aa. Rajjak Aa. Hasib Aa. Aasib Aa. Aarif Aa. Shaikh Rajjak Aa. Kiswar jaha Saviya Jaha Doughter Shaikh Aa. Rajjak caste Musalman Address Sehore madhya Pradesh Land Owner 229/162/2
4	229/160	Private	Irrigated	0.396	Jagdeesh Prashad Father Shivnarayan caste Kalota Address Sehore madhya Pradesh Land Owner 229/160/3
5	39-40-45/2	Private	Irrigated	0.0823	Bhusan Father Santosh Caste Brahaman Address Sehore Madhya Pradesh Land Owner 39/1/1/3, 40, 45/2/1/1/3
6	39-40-45/2	Private	Irrigated	0.7227	Bhusan Father Santosh Caste Brahaman Address Sehore Madhya Pradesh Land Owner 39/1/3, 40, 45/2/1/3
7	39-40-45/2	Private	Irrigated	0.7926	Kedar Father Kaluram Caste Brahaman Address Sehore Madhya Pradesh Land Owner 39/2/7, 40, 45/2
8	39-40-45/2	Private	Irrigated	0.1211	Kedar Father Kaluram Caste Brahaman Address Sehore Madhya Pradesh Land Owner 39/2/9, 40, 45/2
9	39-40-45/2	Private	Irrigated	0.2401	Ganjju Urf Gajendra Father Kaluram Caste Brahaman Address Sehore Madhya Pradesh Land Owner 39/3/1, 40, 45/2
10	39-40-45/2	Private	Irrigated	0.0559	Govenment of Madhya Pradesh 39/3/4, (S) 40, 45/2
11	39-40-45/2	Private	Irrigated	0.0623	Govenment of Madhya Pradesh 39/2/8, 40, 45/2
12	39-40-45/2	Private	Irrigated	0.004	Badri Narayann Father Kaluram caste Brahaman Address Sehore madhya Pradesh Land Owner 39/2/4 (S) 40, 45/2
	Village: Nandg	aon			
13	170	Private	Irrigated	0.023	Ramchandra, Rameshchandra, Kailash Chandra Father Chhatarsingh, Lilabai, Parvati Bai Suman Bai Father Chhatarsingh Khati Resident Village Land Owner Land Revenue 9.75 170
14	173-176-177/1	Private	Irrigated	0.015	Rameshwar Das Father Haridas Caste Vairagi Resident Sehore Land Owner Land revenue 1.93 173/3, 176, 177/1

15	174/2-175- 259/175	Private	Irrigated	0.02	Ramkishan Father Kaluram Kanchan Bai Daughter Mehtab Meharban Arjun Singh Aa. Mulluchand Caste Khati Part 3.032 he. Devendra Aatmaj Meharban Singh Part 1.011 He. Caste Khati Land Owner Land revenue 24.34 174/2, 175, 259/175
			TOTAL	2.99	

[F. No. CE-RO BPL/30010/34/2018-19/3D]

RAJESH GUPTA, Director